धारा-54. धन की व्यवस्था करने के लिए निर्बन्धन और शर्त.-इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन रहते हुए-

(क) राज्य सरकार शीर्ष समिति के साथ एक अनुबन्ध कर सकती है जिसमें उन निबन्धनों और शर्तों का उल्लेख होगा जिन पर धारा 45 में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए शीर्ष समिति को धन देगी;

(ख) कोई भी शीर्ष समिति, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से केन्द्रीय समिति के साथ के अनुबन्ध कर सकती है जिसमें उन निबन्धनों और शर्तों का उल्लेख होगा जिन पर वह प्रमुख राज्य भागिता-निधि से धारा 46 की उपधारा (2) के खण्ड(क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उक्त समिति को धन देगी।